



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/वैशाख 17, 1940

No. 292]

NEW DELHI, MONDAY MAY 7, 2018/VAISAKHA 17, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 7 मई, 2018

सा.का.नि. 430 (अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2018 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।  
2. कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 3, नियम 4, नियम 5 तथा नियम 6 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. 1/21/2013-सीएल.व]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** मूल नियम सा.का.नि. संख्या 251(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसमें सा.का.नि. संख्या 424(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2018

**G.S.R. 430 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 26 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Amendment Rules, 2018.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014, the rule 3, rule 4, rule 5 and rule 6 shall be omitted.

[File No. 1/21/2013-CL-V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

**Note:**—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 251(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and were subsequently amended *vide* number G.S.R. 424(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2014.